

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.)**  
E-mail – [deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com](mailto:deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com)

क्र. 4684/अधिष्ठाता/सी.आई.एम.एस/2019

छिन्दवाड़ा दिनांक – 6 /11 /2019

-: नोटिस :-

**Walk – In- Interview**

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.) में सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर साक्षात्कार (Walk– In-Interview) आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक आवेदक अपनी उपस्थिति छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.) में दिनांक 06/11 /2019 से हर सप्ताह सोमवार से गुरुवार, अपने समस्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों सहित सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक अधिष्ठाता कार्यालय में अनिवार्यतः उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

	सीनियर रेसीडेंट				जूनियर रेसीडेंट			
	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
मेडिसिन	–	–	1	1	–	–	1	1
पीडियाट्रिक्स	–	–	–	–	–	–	–	–
टी.बी एण्ड चेरस्ट डिजीज	1	–	–	–	1	–	–	–
स्किन व्ही डी एण्ड लेप्रोसी	–	–	–	–	1	–	–	–
मनोरोग	1	–	–	–	1	–	–	–
सर्जरी	–	–	–	1	2	1	1	1
आर्थोपेडिक्स	–	–	–	–	1	–	–	–
ई एन.टी	–	–	–	–	1	–	–	–
अण्थेल्मोलॉजी	–	–	–	–	1	–	–	–
स्त्री एवं प्रसूति रोग	–	–	–	1	2	–	1	1
एनेस्थीसिया	–	–	–	–	–	–	1	1
रेडियोडायग्नोसिस	1	–	–	1	–	–	–	–
कुल रिक्त पद	3	0	1	4	10	1	4	4

- उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।
- पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट हेतु :-

1. सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट की (Tenure) 3 वर्ष की अवधि होगी। इनकी प्रथमतः 1 वर्ष हेतु नियुक्ति की जायेगी। तत्पश्चात् सेवाएं संतोषजनक पाये जाने पर 1 वर्ष हेतु समय बढ़ाया जा सकेगा।
2. यह नियुक्ति प्रथमतः 1 वर्ष के लिये होगी और उनका कार्य संतोषजनक पाये जाने पर एवं विभागाध्यक्ष द्वारा संतोषजनक कार्य की रिपोर्ट आने पर फिर 12 माह के लिये कार्यकाल बढ़ाया जायेगा। प्रत्येक 1 वर्ष हेतु अगर किसी विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होती है तो उस हालत में रेसीडेंट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा जिन चिकित्सकों की नियुक्ति इस प्रकार से समाप्त हो जाती है। उन्हें दोबारा आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
3. इन चिकित्सकों को 01 वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही उन्हें सप्ताह में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी। साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा।
4. सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट की नियुक्ति में आरक्षण रोजर का पूर्णरूपेण पालन किया गया है।
5. सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
6. कार्य ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्ता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के उपरांत चयनित उम्मीदवार को सात दिवस के अंदर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
8. सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट को चिकित्सालय में आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक चिकित्सा सेवायें (सी0एम0ओ0 ड्यूटी ) ली जावेगी।
9. सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी। उक्त परिस्थिति में रिक्तियों की कैटेगरी में परिवर्तन किया जा सकता है। एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध होने पर तत्काल पूर्व आरक्षित नियुक्ति पर कार्यरत उम्मीदवार सेवार्थें स्वतः समाप्त हो जाएगी। ताकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार का चयन किया जा सके।

अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा

पृ0क 4685-89 /स्था/राज/19

दिनांक 6 / 11 / 2019

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
5. स्थानीय लेखा शाखा छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की ओर।

अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा